LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Tuesday, 3 November 2015 / 12 Karthika 1937 (Saka)

No.33

COMMENCEMENT OF THE SECOND SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATION CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are hereby informed that the Second Session of the Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Wednesday, 18 November, at 02.00 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

SITTINGS:

The sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for 18, 20, 23, 24, 26 & 27 November 2015. Subject to the exigencies of business the House may sit on 21 & 28 November as well.

TIME:

The sittings of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till adjournment for the day.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Second Session will be received with immediate effect. As per the direction of Hon'ble Speaker question hour will be held on 18, 20, 23, 24, 26 & 27 November 2015.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS:

For the Second Session the schedule for questions in respect of various departments is as follows:

Sl. No.	Departments	Date of Sitting	Last date for receipt of notice of questions for the Department in col. 2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding balloting for determination of priority for starred questions (At 5.00 PM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Department of Food Safety Family Welfare Medical and Public Health Urban Development	18.11.2015 Wednesday	05.11.2015 Thursday	05.11.2015 Thursday
02	Administrative Reforms Employment Food and Supplies	20.11.2015 Friday	06.11.2015 Friday	06.11.2015 Friday

	General Administration Information and Publicity Information Technology Labour Law, Justice and Legislative Affairs			
03	Co-operative Development Elections Home Industries Jail Transport Vigilance	23.11.2015 Monday	10.11.2015 Tuesday	10.11.2015 Tuesday
04	Art, Culture and Languages Gurudwara Election & Admn Social Welfare Tourism Water Welfare of SC/ST/OBC/Minorities	24.11.2015 Tuesday	10.11.2015 Tuesday	10.11.2015 Tuesday
05	Education Higher Education Irrigation and Flood Control Power Revenue Training and Technical Education	26.11.2015 Thursday	13.11.2015 Friday	13.11.2015 Friday
06	Environment, Forest & Wildlife Excise Finance Land and Building Planning PWD Services Trade and Taxes	27.11.2015 Friday	13.11.2015 Friday	13.11.2015 Friday

Note:

(1) A member may give notice of only five questions on a given day {Rule 36 (1)}

(2) Each question should primarily relate to one Department only {(Rule 31 (xxii)}.

(3) Members may kindly note that if notice of question is received after the deadline prescribed such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments as shown in column 4 above.

(4) Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible must be accompanied by the relevant self-attested clipping of the news items. The questions not accompanied by such clippings are likely to be disallowed.

(5) The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received.

(6) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.

(7) Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No.54) as per schedule indicated Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

(8) Members are requested to go through Chapter VII of the Rules of Procedure for further details.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

As per directions of the Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 4 PM on the date preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11 AM on the day on which it is proposed to be raised. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original, duly approved, text while raising the same on the floor of the House. Any disallowed deviation will be treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS:

The sittings of the House to be held on Friday the 20 November 2015 and 27 November 2015 have been allotted for Private Members' Business.

The last date of receipt of notices of Private Members' Bills & Resolutions for Friday the 20 November 2015 is 6 November 2015 up to 3.00 P.M and for Friday the 27 November 2015 is 13 November 2015 up to 3.00 P.M. The balloting shall take place at 4.30 P.M on same day in the room of Secretary. Members are welcome to participate in balloting.

NOTICES:

(a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which *inter alia* reads as follows:

(1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

(2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also recorded thereon.

(c) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members does so, it is not likely to be taken note of.

(d) The Assembly Notice Office is located in Room No.46 and shall remain open during office hours i.e 9.30 AM to 6.00 PM.

VISITORS' GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, application forms for the issue of Visitors' Gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 18.11.2015 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e, 17.11.2015. The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more

than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them and ensure that any person in the visitor's gallery does not cheer, clap or hoot.

NOTE:- CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

THE SECOND SESSION OF SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY

Provisional Calendar of Sittings

Sitting	Date	Day	Business
1.	18 November 2015	Wednesday	Government Business
2.	19 November 2015	Thursday	**No Sitting**
3.	20 November 2015	Friday	**Private Members Day**
4.	21 November 2015	Saturday	**No Sitting**
5.	22 November 2015	Sunday	**No Sitting**
6.	23 November 2015	Monday	Government Business
7.	24 November 2015	Tuesday	Government Business
8.	25 November 2015	Wednesday	**No Sitting**
9.	26 November 2015	Thursday	Government Business
10.	27 November 2015	Friday	**Private Members Day**

Note: Subject to the exigencies of business the House may sit on 21 & 28 November as well.

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

मंगलवार, 3 नवम्बर, 2015/ 12 कार्तिक 1937 (शक)

नं0 33

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के दूसरे सत्र का प्रारंभ:

माननीय सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा का दूसरा सत्र बुधवार, 18, नवम्बर,2015 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा।

सत्र की बैठकें:

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 18,20,23,24,26, एवं 27 नवम्बर, 2015 के लिए निर्धारित की गयी हैं। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठकें 21 एवं 28 नवम्बर, 2015 को भी होंगी।

समय:

विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे प्रारंभ होंगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए।

प्रश्नों की सूचनाएं:

दूसरे सत्र के लिए प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्रश्नकाल दिनॉक 18,20,23,24,26 और 27 नवम्बर, 2015 को होगा।

प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन:

दूसरे सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिन निर्धारित किए गए हैं

क्र.सं.	**विभाग**	**बैठक की तिथि**	**कॉलम-2 में दर्शाए विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि (अपराहन 3.00 बजे तक)**	**मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप.5.00 बजे)**
1.	2.	3	4	5
01.	खाद्य सुरक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य ,शहरी विकास	18.11.2015 बुधवार	5.11.2015 वृहस्पतिवार	5.11.2015 वृहस्पतिवार
02.	प्रशासनिक सुधार, रोजगार, खाद्य एवं संभरण, सामान्य प्रशासन, सूचना एवं प्रचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, श्रम, विधि, न्याय एवं विधायी मामले	20.11.2015 शुक्रवार	06.11.2015 शुक्रवार	06.11.2015 शुक्रवार
03	सहकारिता,विकास, चुनाव, गृह, उद्योग,कारागार, परिवहन, सतर्कता,	23.11.2015 सोमवार	10.11.2015 मंगलवार	10.11.2015 मंगलवार
04.	कला, संस्कृति एवं भाषा, गुरुद्वारा प्रशासन एवं चुनाव, समाज कल्याण, पर्यटन, जल,अनूसूचित	24.11.2015 मंगलवार	10.11.2015 मंगलवार	10.11.2015 मंगलवार

	जाति/जनजाति,अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण,			
05.	शिक्षा,उच्च शिक्षा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, राजस्व, प्रशिक्षण एवं तकनीकि शिक्षा,	26.11.2015 वृहस्पतिवार	13.11.2015 शुक्रवार	13.11.2015 शुक्रवार
06.	पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव,आबकारी, वित्त, भूमि एवं भवन, योजना, लोक निर्माण, सेवाएं,व्यापार एवं कर,	27.11.2015 शुक्रवार	13.11.2015 शुक्रवार	13.11.2015 शुक्रवार

टिप्पणी:

1. सदस्य किसी भी नियत दिन के लिए केवल पॉच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं। (नियम-36(1))

2. प्रश्न सामान्यत: एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए। नियम-31(xxii))

3. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जाएगी। प्रश्न की सूचनाएं प्राप्त करने का समय, विभागों के लिए नियत प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3.00 बजे तक होगा जैसा कि कॉलम -4 में दिया गया है।

4. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की स्वत: सत्यापित कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा जब एक ही एक ही विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी।

6. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

7. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं.-54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी। सभी

माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं।

8. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बारे में अधिक विवरण हेतु प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम पुस्तिका का अध्याय - 7 देख लें।

नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख:

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाना चाहते हैं, वे उसकी सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व अपराहन 4.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग बैठक के दिन पूर्वाहन11.00 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। बैलेटिंग में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 पंक्तियों तक सीमित रखें और सदन में मामला उठाते समय विधिवत स्वीकृत मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाये गये मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। मामला केवल एक ही विषय और एक ही विभाग से संबंधित होना चाहिए।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य:

शुक्रवार 20 नवंबर, 2015 और शुक्रवार 27 नवंबर, 2015 की तिथि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए निर्धारित की गई है।

शुक्रवार 20 नवंबर, 2015 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06 नवंबर, 2015 को अपराहन 3.00 बजे तक एवं शुक्रवार 27 नवंबर, 2015 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2015 को अपराहन 3.00 बजे तक है जिसके लिए बैलेटिंग उसी दिन अपराहन 4.30 बजे सचिव के कक्ष में संपन्न होगी। माननीय सदस्यों बैलेटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रितहै।

<u>नोटिस</u>

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ इस प्रकार से हैं:-

1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा सूचना कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिए शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुला रहेगा।

2. सूचना कार्यालय में उप-नियम(1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिए दी गई समझी जायेगी।

(ख) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।

(ग) चूंकि विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है, अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(ड.) विधान सभा की सूचना शाखा कक्ष संख्या 46 में स्थित है जो कार्यालय समय प्रात: 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे के दौरान खुला रहेगा।

<u>दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व अपराहन 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं। उदाहरणार्थ 18/11/2015 को होने वाली सदन की बैठक के लिए

दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 17/11/2015 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यत: उसी दिन जारी नहीं किए जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं तथा माननीय सदस्य यह भी सुनिश्चित करें कि दर्शक-दीर्घा में कोई भी व्यक्ति न खुशी से चिल्लाएं, न ताली बजायें और न हूटिंग करें।

नोट: अनुरोध है कि मोबाइल फोन, पेजर या अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण सदन में न ले जायें।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव

छठी विधान सभा का दूसरा सत्र

बैठकों का अस्थायी कैलैण्डर

बैठक	तिथि	दिन	कार्य
1.	18 नवम्बर,2015	बुधवार	सरकारी कार्य
2.	19 नवम्बर,2015	वृहस्पतिवार	बैठक नहीं
3.	20 नवम्बर,2015	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य
4.	21 नवम्बर,2015	शनिवार	बैठक नहीं
5.	22 नवम्बर,2015	रविवार	बैठक नहीं
6.	23 नवम्बर,2015	सोमवार	सरकारी कार्य
7.	24 नवम्बर,2015	मंगलवार	सरकारी कार्य
8.	25 नवम्बर,2015	बुधवार	बैठक नहीं
9.	26 नवम्बर,2015	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
10.	27 नवम्बर,2015	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य